

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।

हायरा संख्या 2589/कं.कं.सि.सि.
दिनांक 31/4/24 लखनऊ

पत्रांक-7157/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा,

लखनऊ: दिनांक: मार्च, 31, 2024

कार्यालय जाप

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-76/2024/49पी/24-27-सिं0-4/001-57(डब्ल्यू)परि0 /2024, दिनांक 28-02-2024 द्वारा "जनपद मेरठ एवं गाजियाबाद में राजवाहा टीकरी प्रणाली के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की परियोजना" की लागत ₹0 3000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुमान में अवशेष धनराशि ₹0 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के जाप पत्रांक-6338/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा, दिनांक 06-03-2024 (प्राधिकृत/आन लाईन अन्तरण संख्या-94/2023-24) के क्रमांक-3 के भाग-2 पर अंकित मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ के अधीनस्थ खण्ड मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को धनराशि ₹0 120.00 लाख वित्त नियंत्रक को प्रेषित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या-198/2024/49पी(1)/24-27-सिं0-4/57 (डब्ल्यू) परि0/2024 दिनांक 30.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त शासनादेश 76/2024/49पी/24-27-सिं0-4/001-57(डब्ल्यू)परि0 /2024, दिनांक 28-02-2024 में लेखाशीर्षक 4700-97-51-10-14-24 के स्थान पर टंकणीय त्रुटिवश लेखाशीर्षक 4701-97-51-10-14-24 अंकित का उल्लेख किया गया है। उक्त शासकीय आदेश एवं मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ के पत्रांक-2764/मुअगंगा दिनांक 30.03.2024 के क्रम में इस कार्यालय के जाप पत्रांक-6338/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा, दिनांक 06-03-2024 (प्राधिकृत/आन लाईन अन्तरण संख्या-94/2023-24) के क्रमांक-3 के भाग-2 पर अंकित मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ के अधीनस्थ खण्ड मेरठ खण्ड गंगा नहर, मेरठ को धनराशि ₹0 120.00 लाख को निरस्त करते हुए। मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ के पत्र संख्या-2764/मुअगंगा दिनांक 30.03.2024 द्वारा की गयी पुनः मांग के क्रम में तालिका निम्नानुसार है:-

क्र 0 सं 0	परियोजना का नाम	लेखा शीर्षक	शासकीय स्वीकृति का संदर्भ	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता का संदर्भ	खण्ड का नाम/ आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं डी0डी0ओ कोड	कोषागार/ जनपद	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जनपद मेरठ एवं गाजियाबाद में राजवाहा टीकरी प्रणाली के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण की परियोजना	4700-97-051-10-14-24	76/2024/49पी/24-27-सिं0-4/001-57(डब्ल्यू)परि0 /2024, दिनांक 28-02-2024	मु0अभि0(गंगा) मेरठ के पत्रांक-2781/मुअगंगा दिनांक 30-03-2024	मेरठ खण्ड गंगा नहर मेरठ, 4810	मेरठ	6.00
योग-							6.00

(₹0 छः लाख मात्र)

शेष जाप दिनांक 06.03.2024 यथावत रहेगा।

अनिल कुमार

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

पत्रांक- 7157/(1)/आई0बी0/तदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1(पश्चिम) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, मेरठ।
- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्तानुसार तालिका एवं मुख्य अभियन्ताओं के पत्र की छायाप्रतियों के अनुरूप अन्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/अनुश्रवण) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता (कम्प्यूटर-केन्द्र) सिं0एवं जल सं0विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता..... ।
- संबन्धित अधिशासी अभियन्ता..... ।
- स्टाफ अधिकारी(बजट)मुख्य अभियन्ता (बजट) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- कट फाईल हेतु।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
31/4/24

रामेश कुमार
31.3.24

(राकेश कुमार)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष।

SPU 31/4/24 M.-396

31-03-24